

N.O.C.

सहाय कुमर मिश्रा
परियोजना निदेशक
डी० आर० एम०-भाग
Sanjay Kumar Mishra

अधियासी अभियन्ता,
लौर खण्ड पूर्वी यमुना नहर,
शामली

प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, लौर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली को
पत्रांक :- 2855 / एनओसीओ / दिनांक :- 28/12/18

अधियासी अभियन्ता,
लौर खण्ड पूर्वी यमुना नहर,
शामली

1. पुल निर्माण कार्य से निकलने वाला मलबा नहर में नहीं डाला जायेगा तथा नहर को
संशोधित नहीं किया जायेगा। यदि नहर संशोधित होती है तो नहर की परम्पत के
लिए जो धन व्यय होगा वह आपके द्वारा वहन किया जायेगा।
2. पुल निर्माण का कार्य नहरबन्दी के समय ही करना होगा। नहरबन्दी नहीं में जल
उपलब्धता एवं सीव हैल्ट कृषकों की भाग के अनुसार ही की जायेगी। पुल निर्माण
कार्यक्रम इस कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. पुल निर्माण के समय नहर के संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
4. पुल निर्माण के दौरान एवं परचाल में किसी भी दुर्घटना के लिए आप स्वयं उत्तरदायी
होगे।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक NHAI/PIU-BPT/1014-I(709AD)/2018.D-953, Dated: 17.12.2018
of Canal Crossing.
44) Sharnli-MuzatTarnagar-Bijnor-Nagina road in the state of Uttar Pradesh
of Detailed Project Report for Upgradation of Panipat(Junction with NH-
विषय:-Consultancy Service for Project Management Phase I including preparation
एनओसीओ / दिनांक

कार्यालय अधियासी अभियन्ता,
लौर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली